

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-5) विभाग

क्रमांकःप. 4 (1 )साप्र / 5 / 09पार्ट

जयपुर, दिनांक: १०.८.११

प्रबन्धक,  
ट्रांजिट होस्टल,  
जयपुर ।

विषय— ट्रांजिट आवास में परिवर्तन बाबत् ।  
सन्दर्भ—इस विभाग का समसख्यक आज्ञा दिनांक 19.11.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित आज्ञा के सम्बन्ध में निर्देशानुसार लेख है कि श्रीमति इन्द्रा चौधरी, कृषि अधिकारी (उर्वरक) कृषि आयुक्तालय, जयपुर जो आवास संख्या 21 (ओ०टी०एच०) में रह रही हैं, को आवास संख्या 21 के स्थान पर 14 (ओ०टी०एच०) का आंवटन पूर्व निर्धारित शर्तों के अध्याधीन एतद्वारा किया जाता है।

नवीन आवास पत्र जारी होने के तीन दिवस में शिफ्ट कराने का श्रम करें।

भवदीय,

*२०.८.११*  
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि श्रीमति इन्द्रा चौधरी, कृषि अधिकारी (उर्वरक) कृषि आयुक्तालय जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि पत्र जारी होने के तीन दिवस में अपना आवास संख्या 21 के स्थान पर 14 (ओ०टी०एच०) शिफ्ट कर लें।

*२०.८.११*  
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-5) विभाग

आज्ञा

द्रांजिट होस्टल, जयपुर आंवटन आदेश संख्या एफ. 7(2)साप्र / 5/06 दिनांक 27.10.06 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित आवास एक वर्ष की अवधि या नियमित आवास उपलब्ध होने तक जो भी पूर्व हो, तक के लिए निम्नांकित शर्तों पर आवंटित किया जाता है :-

1. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार किराया भत्ता देय नहीं होगा ।
  2. संबंधित अधिकारी से आवास के किराया की राशि अग्रिम वसूल कर ली जावेगी ।
  3. संबंधित अधिकारी के विरुद्ध ट्रांजिट होस्टल, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावेगी ।
  4. ट्रांजिट होस्टल के आवास में रहने वाले प्रत्येक अधिकारी को प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि पर मूल वेतन का प्रमाण प्रबन्धक, ट्रांजिट होस्टल को प्रस्तुत करना होगा ।
  5. स्थानान्तरण / सेवानिवृति की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा प्रबन्धक ट्रांजिट होस्टल, जयपुर को तुरन्त देनी होगी ।

क्रम सं. अधिकारी का नाम आंवटित आवास सख्त्या  
 1 श्री राजेन्द्र कुमार औझा , आवास सं 21 ( ओ०टी०एच० )  
 उप पुलिस अधीक्षक,  
 ए०टी०एस० जयपुर ।

१९७९।८

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा दिनांक 25.5.11 तक प्राप्त कर विभाग को अवगत करावे। निर्धारित तिथि के पश्चात् रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षित अधिकारी को आवंटित कर दिया जाना प्रस्तावित है।
  2. प्रबन्धक, ट्रांजिट होस्टल, जयपुर।
  3. कोषाधिकारी, सचिवालय / जिला कोष कार्यालय, जयपुर।
  4. सहायक शासन सचिव, सा० प्र०(गुप-२)विभाग।
  5. रक्षित पत्रावली।

३८६९१८  
सहायक सचिव शासन